Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Jamabandi Cancellation Revision No.- 207/2022

Lalan Kumar & Ors ..... Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, कटिहार के जमाबंदी सुधार अपील सं0–482/2017–18 में दिनांक–23.08.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सगुनिया, थाना सं0–260, खाता सं0–113, खेसरा सं0–135, रकवा–0.64 डी0 विवादित भूमि है, जो इन्हें खानगी बँटवारे में पूर्वजों से प्राप्त है। जिसपर ये दखलकार रहते हुए भू–लगान वर्ष 2011 तक भुगतान करते रहे हैं। वर्ष 2011 में इनके द्वारा 0.54 डी0 भूमि आवेदक सं0–02 से 06 के पास बिक्री की गई। शेष भूमि इनके दखल–कब्जे में रही। आवेदक द्वारा अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार वाद सं0–230/2016 दायर किया गया। जिसे तथ्यों पर बिना विचार किये ही खारिज कर दिया गया। अंचल, कदवा से इन्हें जानकारी मिली कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी B.T. Act वाद सं0–16/2008–09 की धारा–48D के तहत् विपक्षी इब्राहिम के नाम कायम है। इनके द्वारा अंचल कार्यालय में उक्त वाद सं0–16/2008–09 की जानकारी माँगे जाने के संबंध में उक्त अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना एवं कार्यालय के वाद पंजी में भी दर्ज नहीं पाये जाने की जानकारी दी गई। कार्यालय द्वारा निर्गत नकल आवेदन पर कार्यालय सहायक की दिनांक–09.07.2012 की स्पष्ट टिप्पणी दर्ज है, उक्त अभिलेख कार्यालय में मेरे प्रभार में प्राप्त नहीं हुआ है तथा पंजी में भी उक्त वाद संधारित नहीं है। खोजने से कार्यालय में भी उपलब्ध भी नहीं हो रहा है। विपक्षी उक्त भूमि के कभी बटाईदार नहीं रहे हैं। B.T. Act - 16/2008–09 में धारा–48D के अंतर्गत भू–स्वामी को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है। उनके द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी दर्ज कराई गई है। इस फर्जीवाड़े में विपक्षी एवं अंचलकर्मी की संलिप्तता स्पष्ट परिलक्षित होती है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी, बारसोई के समक्ष अपील वाद सं0–16/2012–13 दायर किया गया जिसमें यह अभिमत धारित किया गया कि	

Web Copy, Not Official.

		उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेखों में प्रस्तुत कागजातों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख सं0–16/2008–09 के अभाव में वाद के वास्तविक तथ्यों का अध्ययन संभव क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	नहीं है, के साथ अपील अस्वीकृत कर दिया गया। निम्न न्यायालय में अंचलाधिकारी, कदवा ने पत्रांक–346 दिनांक–23.02.2022 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्वीकार किया है कि 48D वाद सं0–16/2008–09 का अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा पंजी में भी उक्त वाद संधारित नहीं है। इस प्रकार प्रमाणित तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा इनके अपील को अस्वीकृत करना व्यथित एवं हतप्रभ करनेवाला आदेश है जिसमें हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा 48D वाद सं0–16/2008–09 के अभाव में मामले के गुण–दोष पर विचार नहीं किया गया जो सही नहीं है। वर्णित B.T. Act अभिलेख कार्यालय एवं पंजी में नहीं पाये जाने से फर्जीवाड़ा स्पष्ट उजागर होता है; जो अंचल कार्यालय द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने का द्योतक है जिससे समाज के कमजोर वर्गों को न्यायालय दर न्यायालय भटकने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे कर्मियों को चिन्हित कर वरीय न्यायालय द्वारा दंड़ित किया जाना आवश्यक है। निम्न दोनों न्यायालयों द्वारा भी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया जाना पदीय गरिमा के विरूद्ध है। ऐसे अवैध कृत्यों में वरीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नितांत आवश्यक है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–02 मो0 इब्राहिम के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। उक्त भूमि आवेदक सं0–01 के दादा लालू वारीक के नाम खतियान दर्ज है जिसमें विपक्षी के पिता–शेख जमरूद्दीन के नाम शिकमी खाता सं0–108 नगदी शिकमी दर्ज है। इनके पिता सर्वे के पूर्व से ही उक्त भूमि के बटाईदार रहे हैं। भू–स्वामी एक बहुत बड़े जमींदार थे। चकबंदी खतियान में भी इनके पिता बटाईदार के रूप में दर्ज है। पिता की मृत्यु होने के उपरांत विपक्षी उक्त भूमि पर दखलकार है। इनके द्वारा B.T. Act 48D के अंतर्गत रैयती हक प्राप्त करने हेतु वाद सं0–16/2008–09 दायर किया गया जिसके तहत् इन्हें प्रश्नगत भूमि का रैयत घोषित करते हुए इनके पक्ष में जमाबंदी सं0–652 दर्ज हुई। आवेदक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई के समक्ष अपील सं0–16/2012 दायर किया गया जो दिनांक–27.07.2016 को खारिज कर दिया गया। फलतः आवेदक द्वारा अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार वाद सं0–230/2016 दायर किया गया जो खारिज हो गया। उक्त आदेश के विरूद्ध	

Web copy Not Official.

		इनके द्वारा निम्न न्यायालय में अपील सं0–482/2017–18 दायर किया गया जो दिनांक–23.08.2022 को खारिज कर दिया गया। विपक्षी के पक्ष में सृजित जमाबंदी वैध है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला पदाधिकारी, कटिहार ने पत्रांक–50 दिनांक–06.01.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए पाया गया कि प्रश्नगत जमीन एक शेख जमीरूद्दीन के नाम शिकमी क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	दर्ज है। बटाई वाद सं0–16/2008–09 में B.T. Act की धारा 48D के अंतर्गत कायमी हक दिया जा चुका है। अंचल कार्यालय में अभिलेख नहीं है लेकिन जमीन पर मो0 इब्राहिम का दखल–कब्जा है। प्रश्नगत जमीन की एक हिस्सा में मो0 इब्राहिम का घर है तथा शेष भाग में फसल लगाया गया है। इन तमाम मुद्दों पर गहराई से विचार करते हुए उनका अपील खारिज किया गया था और अपर समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश सही पाया गया। प्रश्नगत जमीन पर पुनरीक्षणकर्त्ता दखलकार नहीं है। पुनरीक्षण का आधार सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद खारिज करने योग्य बताया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का कुल रकवा–64 डी0 आवेदक को खानगी बँटवारे में अपने पूर्वजों से प्राप्त है। जिसमें उक्त रकवा में से 54 डी0 भूमि आवेदक सं0–02 से 06 के पास बिक्री की गई। शेष भूमि इनके दखल–कब्जे में है। विपक्षी सं0–02 मो0 इब्राहिम का दावा है कि उक्त भूमि आवेदक सं0–01 के दादा लालू वारीक के नाम खतियान दर्ज है जिसमें विपक्षी के पिता शेख जमरूद्दीन के नाम शिकमी खाता सं0–108 नकदी शिकमी अंकित है। चकबंदी खतियान में भी इनके पिता बटाईदार के रूप में दर्ज है। पिता की मृत्यु के उपरांत विपक्षी उक्त भूमि पर दखलकार रहते हुए वाद सं0–16/2008–09 में B.T. Act की धारा–48D के अंतर्गत उन्हें रैयती हक प्राप्त है। तदनुसार इनके पक्ष में जमाबंदी सं0–652 सृजित है। निम्न न्यायालयों में जमाबंदी सुधार वादों पर विचारण करते हुए इनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आवेदक का दावा है कि अंचल कार्यालय, कदवा में B.T. Act वाद सं0–16/2008–09 से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है और कार्यालय के वाद पंजी में भी उक्त वाद सं0–16/2008–09 दर्ज नहीं है। इसकी पुष्टि अंचलाधिकारी, कदवा के पत्रांक–346 दिनांक–23.02.2022 को समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष समर्पित प्रतिवेदन से भी होती है। जब अंचल कार्यालय, कदवा में B.T. Act वाद सं0–16/2008–09 से संबंधित कोई अभिलेख तथा वाद पंजी में भी इस आशय की कोई प्रविष्टि नहीं है तो इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा एक बनावटी (Fake) अभिलेख के आधार पर दावा किया जा रहा है जिससे उनके द्वारा	

Web Copy, Not Official.

		विधिवत् तरीके से रैयती हक प्राप्त किया जाना नहीं माना जा सकता है। निम्न दोनों न्यायालयों द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुरूप नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.